राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 960/2011

केदार मल मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राम दयाल मीना, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, सवाईमाधोपुर।
3. ओम प्रकाश मीना, उप रजिस्ट्रार, वर्तमान में पदस्थापित प्रबंध निदेशक सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बारां।
4. शिव दयाल मीना, उप रजिस्ट्रार, वर्तमान में पदस्थापित सचिव, प्राथमिक भूमि विकास बैंक लिमिटेड, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.06.2011
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.1997 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक पंजीयक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 35 पर अंकित है। अपीलार्थी को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.03.1998 (अनुलग्नक–2) द्वारा अधिशाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारिता बैंक लिमिटेड, कोटा में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.1988 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थाई सहायक रजिस्ट्रार की दिनांक 05.08.2003 को अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 64 पर अंकित किया गया और प्रत्यर्थी संख्या–4 का नाम क्रम संख्या 89 पर अंकित किया गया। उक्त वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 का नाम शामिल नहीं हैं (अनुलग्नक–3)। आदेश दिनांक 05.08.2003 के द्वारा जारी की गई सहायक पंजीयकों की वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 30.10.2003 (अनुलग्नक–4) द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए ओंकारमल वर्मा का नाम क्रम संख्या 29 पर एवं रामेश्वर प्रसाद मीणा का नाम क्रम संख्या 30 पर अंकित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 65 पर है और नियुक्ति वर्ष 1997 है जबकि प्रत्यर्थी संख्या–4 का नाम क्रम संख्या 90 पर है और नियुक्ति वर्ष 1998 है। प्रत्यर्थी संख्या–1

ने अपीलर्थी को नजरअंदाज करते हुए विभिन्न वर्षों में प्रत्यर्थी संख्या–2 से 4 को पदोन्नत किया और इस प्रकार अपीलार्थी से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2002 से 2010 के लिए डीपीसी के संबंध में जानकारी मांगी गई। अपीलार्थी को डीपीसी के संबंध में पत्र दिनांक 30.11.2010 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्रदान किया गया था, के क्रम में वर्ष 2003–04, 2006–07, 2007–08 और 2009–10 और यह सूचित किया गया कि वर्ष 2002–03, 2004–05 और 2005–06 के लिए डीपीसी की बैठक नहीं हुई। डीपीसी वर्ष 2003–04 के कार्यवृत्त को देखने से पता चलता है कि अपीलार्थी का नाम कार्यवृत्त से जुड़ी पात्रता सूची के क्रम संख्या 49 पर है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के नाम उक्त पात्रता सूची में नहीं हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 19.08.2010 (अनुलग्नक–6) द्वारा सहायक रजिस्ट्रार की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 31 पर अंकित किया गया और प्रत्यर्थी संख्या–4 का नाम क्रम संख्या 52 पर अंकित किया गया था और प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम, जिसका नाम दिनांक 05.08.2003 की वरिष्ठता सूची में भी नहीं है, को अपीलार्थी के ऊपर क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया। अपीलार्थी को पूरी आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी और इस प्रकार अपीलार्थी ने प्रासंगिक जानकारी की आपूर्ति के लिए दिनांक 28.12.2010 को फिर से एक और आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने दिनांक 07.03.2011 को सूचित किया कि मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। कार्मिक और सूचना विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद प्रदान किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या–1 ने पत्र दिनांक 29.04.2011 (अनुलग्नक–7) द्वारा डीपीसी दिनांक 14.09.2010 के कार्यवृत्त की प्रति प्रदान की है। डीपीसी कार्यवाही के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी पर विचार किया गया था, लेकिन उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके अनुसरण में आदेश दिनांक 24.09.2010 (अनुलग्नक–8) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 को वर्ष 2010–11 की रिक्ति के विरूद्ध उप रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया। कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि रिक्तियों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए और पदोन्नति और डीपीसी प्रत्येक वर्ष प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए और सरकार ने इस प्रस्ताव का पालन नहीं किया है जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा तय किए गए मामलों में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी विभाग ने नियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और कानून के निर्देशों और तय किए गए प्रस्तावों का भी उल्लंघन किया है और प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपीलार्थी को गलती से उसकी पदोन्नति से वंचित कर दिया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर वरिष्ठता सूची दिनांक 19.08.2010 (अनुलग्नक–6) को अपास्त किया जावे और प्रत्यर्थी संख्या 3 को अलग रखा जाए, जिसका नाम दिनांक 05.08.2003 की अंतिम वरिष्ठता सूची में भी नहीं था,

जिसे अपीलार्थी के ऊपर रख दिया गया है उसे पुनः निर्धारित की जाकर अपीलार्थी के नीचे रखने का निर्देश दिया जावे और पदोन्नति आदेश दिनांक 24.09.2010 (अनुलग्नक–8) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को उसी दिनांक से पदोन्नति प्रदान की जावे, जिस दिनांक से अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.08.2003 में क्रम संख्या 64 पर था तथा दिनांक 30.10.2003 की संशोधित वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 65 पर रखा गया था क्योंकि वर्ष 1997–98 में डी.पी.सी. की अनुशंषा के आधार पर चयनित प्रत्यर्थी सं. 4 रामदयाल मीणा का नाम वर्ष 1997–98 में पदोन्नत सहायक रजिस्ट्रार के वरिष्ठता क्रमांक में यथास्थान जोड़े जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी का नाम क्रम सं. 65 पर अंकित किया गया। वर्ष 2003–04 में आयोजित डी.पी.सी. की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी गयी है। प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 को वर्ष 2002 से 2010–11 तक विभिन्न वर्षो में उपरजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति दी गयी है, जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठ है। राज्यादेश दिनांक 15.12.2005 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 रामदयाल मीणा का नाम क्रम सं. 34 पर कपूर चन्द गर्ग के नीचे जोड़ा गया। राज्यादेश दिनांक 04.05.2008 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 ओम प्रकाश मीणा को राजस्थान सहकारिता सेवा नियम 1954 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.09.2006 की अभिशंषा के अनुसार श्री ओम प्रकाश मीणा, निरीक्षक सहकारी समिति का सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाकर, वरिष्ठता का निर्धारण वरिष्ठता सूची दिनांक 30.10.2003 में अंकित बाबू लाल मीणा क्रम सं. 39 के नीचे 39ए पर संधारित की गयी। उक्त दोनों को राज्यादेश दिनांक 30.10.2003 द्वारा जारी सहायक पंजीयक की जारी वरिष्ठता सूची में अंकित किये गये। प्रत्यर्थी सं. 4 को वर्ष 2010–11 तक की डीपीसी में उप रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति नहीं दी गयी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की अनुपालना में आयोजित रिव्यू डीपीसी (वर्ष 1997–98 से 2010–11) की अनुशंषा के आधार पर अपीलार्थी से कनिष्ठ एस.टी. वर्ग के किसी भी अभ्यार्थी को पदोन्नति नहीं दी गयी। अपीलार्थी का नाम वर्ष 2010–11 की डी.पी.सी. में विचार किया गया। अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् संतान में वृद्धि (दो से अधिक होने के कारण) पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाये गये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ए.सी.पी. हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की फोटो प्रति जवाब के साथ अनुलग्नक–आर/3 पर अवलोकनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में यह अनुतोष चाहा गया है कि वरिष्ठता सूची दिनांक 19.08.2010 (अनुलग्नक–6), पदोन्नति आदेश दिनांक 24.09.2010 (अनुलग्नक–8) को अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को पदोन्नति की पात्रता धारित करने और कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति दिए जाने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जावे और समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे। प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का वर्ष 2010–11 में डीपीसी हेतु विचार किया गया परन्तु अपीलार्थी को 01 जून, 2002 के पश्चात सन्तान में वृद्धि (दो से अधिक होने के कारण) पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के समय निवेदन किया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के द्वारा सन्तान संबंधी प्रकरणों के संबंध में संशोधन कर दिया गया है और उनके द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की प्रति उपलब्ध कराई गई है एवं उसके अनुरूप अपीलार्थी से प्रकरण में कार्यवाही हेतु निवेदन किया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 में सन्तान संबंधी प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः–

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June, 2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of thissub-rule:"

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सन्तान संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया गया है और ऐसे कार्मिक जिन्हें पूर्व में 01 जून, 2002 के पश्चात दो से अधिक सन्तान होने के कारण पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया था, के प्रकरणों में पदोन्नति पर विचार करने हेतु आवश्यक संशोधन किए गए है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना

दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी के पदोन्नति प्रकरण पर विचार किया जावे तथा अन्यथा पात्र पाये जाने की दशा में पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जावे। इसी निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य